राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5357/2022

अरविन्द कुमार नागर –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2022
आदेश की दिनांक : 05.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विरेन्द्र गोदारा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंवरपुरा, मण्डवालां (Mandwalan), झालावाड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माााध्यमिक विद्यालय, आसपुर, डूंगरपुर 750 कि.मी. दूर किया गया। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय किया गया है, जो राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 17 (1)(4) का उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 30.02.2021 को ही कार्यभार ग्रहण किया गया था। अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी पटवारी के पद पर हल्का सूमर ब्लॉक खानपुर, झालावाड़ में पदस्थापित है। राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को

निरंतर स्कूल व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंवरपुरा, मण्डवालां (Mandwalan), झालावाड़ में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल नहीं दिया गया है। इस संबंध में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 12998/2021 मनीष खींची बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 में वर्णित है कि:–

"Heard learned counsel for the petitioner and perused the record.

A perusal of the order dated 14.08.2021 assailed in the appeal reveals that as many as 372 employees were transferred thereunder. Clause 7 at the bottom of the transfer order reads as under:-

"7.l" (3 of 3) [CW-12998/2021] By Clause 7, it was meant that whoseoever is transferred on his request, is disentitled for TA/DA and by no stretch of imagination it can be held that all the employees under transfer vide order dated 14.8.2021, were disentitled for payment of TA/DA. This aspect has been appreciated by the learned Tribunal while passing the order dated 22.10.2021. Even otherwise also, judgment of Coordinate Bench of this Court in case of Sharwan Kumar Prajapat versus State of Rajasthan, SB Civil Writ Peition No. 7341/2020, says that an order of transfer cannot be set aside merely because no TA/DA has been made payable even if the transfer was not on his request, which can always be directed to be paid.

In view thereof, this Court does not find any perversity or illegality in the order impugned dated 22.10.2021 warranting interference of this Court.

The writ petition is dismissed accordingly."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में भी यह विनिश्चय किया गया है कि स्थानान्तरण आदेश में यात्रा भत्ता आदि दिए जाने के उल्लेख नहीं किए जाने मात्र से स्थानान्तरण आदेश दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों की रोशनी में आलोच्य आदेश में यात्रा भत्ता देय होने के बारे में अंकन नहीं होने के कारण दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के संबंध में स्थगन का आधार नहीं है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है परन्तु प्रत्यर्थी विभाग विभाग को आदेश दिए जाते है कि अपीलार्थी को यात्रा भत्ता एवं योगकाल संबंधित नियमों के अनुसार देय होगा। अतः नियमानुसार दिए जाने की कार्यवाही की जावे।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक............................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य